



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 भाद्र 1942 (श0)

(सं0 पटना 507) पटना, मंगलवार, 25 अगस्त 2020

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

24 अगस्त 2020

सं० 26/नि०नि०-19-01/2020-7293/सा०प्र०—भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल “बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2014” में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।—

- यह नियमावली “बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति (संशोधन) नियमावली, 2020” कही जा सकेगी।
- इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2014 के नियम-3 के उप नियम (ii)(घ) का प्रतिस्थापन।—उक्त नियमावली के नियम-3 के उप नियम-(ii)(घ) को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“जिन्होंने नियमावली में अनुसूची-1 की ए-4, ए-5 कोटि में उल्लिखित गेम्स/प्रतियोगिता में शामिल खेल विधाओं में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रथम/द्वितीय/तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया हो अथवा जिनकी ए-4 एवं ए-5 कोटि में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक-59/2/2019-20/CCSCSB, दिनांक-24.04.2019 में शामिल खेल विधाओं (समय-समय पर यथासंशोधित) में बिहार राज्य की तरफ से विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से पिछले पाँच वर्षों के अन्दर आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में से न्यूनतम तीन वर्ष खिलाड़ी के रूप में सहभागिता रही हो (यथा अनुसूची-3)।”

3. बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2014 के नियम-4 के उपनियम-V का संशोधन।—उक्त नियमावली के नियम-4 के उपनियम-(v) में अंकित वाक्यांश “साक्षात्कार के आधार पर” को विलोपित किया जाता है।

4. बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2014 के नियम-4 के उप नियम (viii) का प्रतिस्थापन।—उक्त नियमावली के नियम-4 के उप नियम- (viii) को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“किसी एक खिलाड़ी के द्वारा कई उपलब्धियाँ प्राप्त किए जाने की स्थिति में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से पिछले पाँच वर्षों के अंदर उनके तीन सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर चयन किया जायेगा।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अनुसूची-3

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक-59/2/2019-20/CCSCSB, दिनांक-24.04.2019 (समय-समय पर यथासंशोधित) में शामिल खेल विधाओं की सूची जिनके खेल संघ भारतीय ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त हैं:-

क्रम संख्या	खेल विधाओं के नाम
1	एथलेटिक्स
2	बैडमिंटन
3	बास्केटबॉल
4	फुटबॉल
5	हॉकी
6	कबड्डी
7	लॉन टेनिस
8	स्वीमिंग
9	टेबल टेनिस
10	वॉलीबॉल
11	वेटलिफ्टिंग
12	रेसलिंग

24 अगस्त 2020

सं० 26/नि०नि०-19-01/2020-7294/सा०प्र०, अधिसूचना संख्या 7293/ दिनांक 24 अगस्त 2020 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The 24th August 2020

No.-26/Ni.Ni-19-01/2020-7293/GAD- In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar makes the following rules for amendment of “**Bihar Outstanding Sportsperson Appointment Rules, 2014**” :-

1. Short title, extent and commencement:-

- These Rules may be called as the “**Bihar Outstanding Sportsperson Appointment (Amendment) Rules, 2020**”
- It shall extend to the whole State of Bihar;
- It shall come into force at once.

2. Substitution of Subrule (ii)(d) of Rule-3 of “**Bihar Outstanding Sportsperson Appointment Rules, 2014**” I— Subrule (ii)(d) of Rule-3 of the said Rules, 2014 is being substituted by the following:-

“ Who had obtained first/second/third prize in games/competitions of sports disciplines of category A-4, A-5 as described in Schedule-1 of the Rules or had participated, in sports disciplines, of category A-4 and A-5, mentioned in letter no.- 59/2/2019-20/CCSCSB dated 24.04.2019 (as amended from time to time) of Department of Personnel and Training, New Delhi (as per Schedule-3), as a player for minimum three years out of competitions organised during previous five years from date of publication of the advertisement.”

4. *Amendment of Subrule (v) of Rule-4 of “Bihar Outstanding Sportsperson Appointment Rules, 2014”.*— The word “**interview**,” mentioned in the Subrule (v) of Rule-4 of the said Rules is being removed.

5. *Substitution of Subrule(viii) of Rule-4 of “Bihar Outstanding Sportsperson Appointment Rules, 2014”.*— Subrule (viii) of Rule-4 of the said rules is being substituted by the following:-

“In case of a sportsperson obtaining many achievements, the selection will be made on basis of the marks obtained in his three best achievements during previous five years from date of publication of the advertisement.”

By order of the Governor of Bihar,
RAM SHANKAR,
Joint Secretary to Government.

SCHEDULE-3

List of sports disciplines which are described in Department of personnel and Training. Govt. of India letter no. 59/2/2019-20/CCSCSB dated 24.04.2019 Whose Sports Federation/Association is recognised by Indian Olympic Association (IOA):-

Sl.No.	Name of Games
1	Athletics
2	Badminton
3	Basketball
4	Football
5	Hockey
6	Kabaddi
7	Lawn Tennis
8	Swimming
9	Table Tennis
10	Volleyball
11	Weightlifting
12	Wrestling

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 507-571+300-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>